

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 03.01.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम के बजट प्रावधान के अन्तर्गत संकल्प संख्या-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में बिहार राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये मुसहर/भुईया, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति मद में ₹37567.73 लाख (तीन सौ पचहत्तर करोड़ सड़सठ लाख तिहत्तर हजार रुपये) एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति मद में ₹10840.12 लाख (एक सौ आठ करोड़ चालीस लाख बारह हजार रुपये) अर्थात् कुल ₹48407.85 लाख (चार सौ चौरासी करोड़ सात लाख पचासी हजार रु०) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम के बजट प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, मुसहर/भुईया, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनु० जाति छात्रवृत्ति मद में ₹37567.73 लाख (तीन सौ पचहत्तर करोड़ सड़सठ लाख तिहत्तर हजार रुपये) एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति मद में ₹10840.12 लाख (एक सौ आठ करोड़ चालीस लाख बारह हजार रुपये) अर्थात् कुल ₹48407.85 लाख (चार सौ चौरासी करोड़ सात लाख पचासी हजार रु०) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- (i) - संलग्न विवरणी-1 में अनु०जाति के लिए भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के राज्य स्कीम मांग सं०-44 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगे:-

(क)- 197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा - विषय शीर्ष-0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन-(विपत्र कोड-44-2225011970101),

(ख) 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा-विषय शीर्ष-0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन-(विपत्र कोड 44-2225011980101),

(ग) 277-शिक्षा-0107-शिक्षा- विषय शीर्ष-0107.34.01- छात्रवृत्ति/वजीफा,

(विपत्र कोड-44-2225012770107),

(ii) - संलग्न विवरणी-2 में अनु० जन जाति के लिए भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के राज्य स्कीम मांग सं०-44 आय-व्यय शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगे :-

(क) 197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा- विषय शीर्ष-0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन-(विपत्र कोड-44-2225021970101)

(ख) 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-0101- छात्रवृत्ति/वजीफा -विषय शीर्ष-0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन-(विपत्र कोड-44-2225021980101)

(ग) 277-शिक्षा-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-0101.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा-

(विपत्र कोड-44-2225022770101),

4- इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प संख्या-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

5- शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि अन्तरण करेंगे। छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7- स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट के अर्न्तगत है।

8- इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-5/निदे०-(प्री मैट्रिक)-26-06/2015- के पृ०-65/टि० पर प्राप्त है।


9- इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

10- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।


11- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-17 दिनांक-05.06.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

12- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(प्रेम सिंह मिश्रा)
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 5/निदे०-(प्री मैट्रिक)-26-06/2015- 113 पटना, दिनांक-20.12.2017 03.01.18
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 5/निदे०-(प्री मैट्रिक)-26-06/2015- 113 पटना, दिनांक- 03.01.18
प्रतिलिपि सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 5/निदे०-(प्री मैट्रिक)-26-06/2015- 113 पटना, दिनांक- 03.01.18
प्रतिलिपि अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा०-5(निदे०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्री मैट्रीक)-26-06/2015- 113 पटना, दिनांक- 03.01.18
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को
सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्री मैट्रीक)-26-06/2015- 113 पटना, दिनांक- 03.01.18
प्रतिलिपि- सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई
दिल्ली /सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्री मैट्रीक)-26-06/2015- 113 पटना, दिनांक- 03.01.18
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित
जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

विवरणी-1.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनु0जाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, मुसहर, भूईयां छात्रवृत्ति मद में पूरे वर्ष के लिए स्वीकृत राशि की विवरणी ।


(राशि लाख में)

कमांक	राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरणी	योजना का नाम	लघु शीर्ष	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	0101.31.06	सहायक अनुदान-गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	44-2225011970101	7710.73
2	0101.31.06	सहायक अनुदान-गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	198-ग्राम पंचायतों को सहायता	44-2225011980101	13366.00
3	0107.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	277-शिक्षा	44-2225012770107	10425.00
				277-शिक्षा (द्वितीय अनुपूरक बजट)	44-2225012770107	5000.00
4	0101.31.06	सहायक अनुदान-गैर वेतन	मुसहर/भूईयां (वर्ग-I से VI)	198-ग्राम पंचायतों को सहायता	44-2225011980101	1025.00
5	0107.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा		277-शिक्षा	44-2225012770107	41.00
कुल योग						37567.73

(तीन सौ पचहत्तर करोड़ सडसठ लाख तिहत्तर हजार रु0) मात्र।

पत्रांक-113 दिनांक-03.01.18 का अनुलग्नक

allotment-plan-stipend-17-18


सरकार के सचिव

विवरणी-2.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनु0जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति मद में पूरे वर्ष के लिए स्वीकृत राशि की विवरणी ।


(राशि लाख में)

क्रमांक	राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरणी	योजना का नाम	लघु शीर्ष	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	0101.31.06	सहायक अनुदान-गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	44-2225021970101	2238.00
2	0101.31.06	सहायक अनुदान-गैर वेतन	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	198-ग्राम पंचायतों को सहायता	44-2225021980101	6717.12
3	0101.34.01	छात्रवृत्ति/वजीफा	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X)	277-शिक्षा	44-2225022770101	1885.00
	कुल योग					10840.12

(एक सौ आठ करोड़ चालीस लाख बारह हजार रु0) मात्र ।

पत्रांक-113 दिनांक-03.01.18 का अनुलग्नक

allotment-plan-stipend-17-18


सरकार के सचिव